भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 151
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 31 जुलाई, 2023
09 श्रावण, 1945 (शक)

ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों का संरक्षण और पुनरूद्धार

151. **श्री रमेश बिन्द:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विगत तीन वर्षों के दौरान ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा और उनके पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ग) क्या सरकार ने नई ऐतिहासिक इमारतों या स्थलों को निकट भविष्य में पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 31.07.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 151 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के तहत 743 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों का संरक्षण और अनुरक्षण संबंधी कार्य उनकी आवश्यकता अनुसार और संसाधनों की उपलब्धता के अंतर्गत करता है। इसके अलावा सुरक्षा और संरक्षा के लिए स्मारकों में सुरक्षा गार्डों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टॉफ और सुरक्षा गार्डों का ब्यौरा अनुबंध –I में दिया गया है। यदि अतिक्रमण की कोई सूचना मिलती है तो अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत निर्धारित उपबंधों के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ख) : उत्तर प्रदेश में संरक्षित स्मारकों के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 53.60 करोड़ रुपए की कुल निधियां आवंटित की गई हैं जिनमें धार्मिक स्मारक भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान, पांच स्मारकों/पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षण और परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों में भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों के लिए पेयजल और शौचालय ब्लॉक जैसी जन सुविधाएं तथा रास्ते, संकेतक, व्याख्या केंद्र, बेंच, कैफेटेरिया, साउंड एंड लाइट शो आदि सरीखी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

अनुबंध- I

लोक सभा में दिनांक 31.07.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 151 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

क. पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों/संग्रहालयों में तैनात निजी सुरक्षा कार्मियों का विवरण।

क्र.सं.	मंडल का नाम	केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों/संग्रहालयों का नाम	निजी सुरक्षा कार्मियों की संख्या
1.	आगरा	आगरा का किला	51
2.		फ़तेहपुर सीकरी के स्मारक	53
3.		अकबर का मकबरा, सिकंदरा, आगरा	19
4.		मरियम का मकबरा, सिकंदरा, आगरा	3
5.		इतिमाद उद दौला, आगरा	18
6.		राम बाग, आगरा	2
7.		महताब बाग, आगरा	2
8.		ताज महल आगरा	25
9.		ताज संग्रहालय, आगरा	4
10.		पुरातत्व स्थल संग्रहालय, फ़तेहपुर सीकरी	4
11.	सारनाथ	पुराना किला (शाही किला), जौनपुर	12
12.		लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, ग़ाज़ीपुर	3
13.		मान सिंह की वैधशाला (मान महल) वाराणसी	3
14.		सारनाथ में उत्खनन से प्राप्त अवशेष	16
15.		पुरातत्व स्थल संग्रहालय, सारनाथ	11
16.		मान महल की वैधशाला में आभासी प्रायोगिक संग्रहालय	6
17.	झांसी	झांसी का किला, झांसी	8
18.		रानी महल, झाँसी	4
19.		कालिंजर किला, कालिंजर	16
20.	लखनऊ	सहेत महल, सारावस्ती	18
21.		रेजीडेंसी लखनऊ, लखनऊ	16
22.		गढ़वा किला, श्योराजपुर, इलाहाबाद	12
23.		1857 मेमोरियल संग्रहालय, रेजीडेंसी, लखनऊ	8
24.		पुरातत्व स्थल संग्रहालय, कपिलवस्तु	2
25.	मेरठ	हस्तिनापुर	5
		कुल	321

ख. पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों पर तैनात सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों का विवरण

क्र.सं.	मंडल का नाम	केंद्रीय संरक्षित स्मारक का नाम	सुरक्षा कर्मियों की स्वीकृत संख्या
1.	आगरा	ताज महल	275

*****